2022/221 ✓

4.8.22
8.9.22
3.11.22
21.12.22
14.9.23

[redacted] जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☎ 230289

ता. पेशी स्टेज

जनरल [redacted]) पेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

T.C.R. के रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमा 5
251A	259/22	23.6.2022	निर्णित 21/12/23	26/10/2023 14/12/23 19/12/23 21/12/23

अनवान

श्री अरविन्द कुमार पिता लक्ष्मण धाकड़ .... श्री अम्बालाल पिता कानाजी कलाल

निवासी गिरधरपुरा .... निवासी ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

श्री ओमप्रकाश शर्मा
G.L. ~~[illegible]~~

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

मुकेश जी धाकड़

रेस्पाडेन्ट / मदयूनान

.... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

सरकार बनाम अमृतलाल

केस्म मुकदमा – 25/A नम्बर 259 वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.2022	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 4/8/2022 को पेश हों। Sd/- उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
4/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 8 तक व 10 से 16 तक व 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29 के बाद समन तामील प्राप्त जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 23, इनकी ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 24 से 28 तक की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने U.T. ली और आगामी पेशी पर अधिकार पत्र पेश करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी शेष विपक्षीगणों के पुनः समन प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दि. 8.9.22 को पेश हो। Sd/-	प्रति क्र. 1, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 24 से 28 की UT की अस्वीकार
8.9.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते अधिकार पत्र/जवाब दि. 3.11.22 को पेश हो। Sd/-	

3/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विपक्षी स. 17, 18, 19 तामिले पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब / अ. पत्र दि. 21.12.22 को पेश हो।
21/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक ... उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे प. ... दिनांक 18.1.23 को वास्ते तलबी/जवाब ... उप खण्ड अधिकारी
18/1/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 1.3.23 को वास्ते त/ज. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
1/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6/4/23 को वास्ते त/ज पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
6/4/23 अ. पत्र पेश हुआ	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 11/5/23 को वास्ते तलबी/ज पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
11/5/2023 8/6/ [illegible] तारीख [illegible]	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित विपक्षी संख्या 4, 17, 18, 19 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। आवाज लगाई गई। विपक्षी संख्या 4, 17, 18, 19 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। शेष विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता मुकेश धाकड़ उपस्थित। जिन्होंने जवाब हेतु अवसर चाहा, पत्रावली जवाब एवं मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 8/6/23 को पेश हो।
8/6/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 13/7/23 को पेश हो।

FORM NO. III

APP- A
Crim-5

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

अरविन्द बनाम अम्बालाल

(कि)स्म मुकदमा 251(A) नं. 259/22 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/8/23 को वास्ते मौका रि. पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
10/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्ते मौका रि पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षीगण संख्या (1, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22 एवं 24 से 28 की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने 4/8/22 की ओर से under taking ली थी, परन्तु आदिनांक तक अधिकार पत्र पेश करने हेतु काफी अवसर दिए इसके बावजूद भी उपरोक्त विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता ने पत्रावली में अधिकार पत्र पेश नहीं किया। एवं विपक्षीगण को उनार आवाज लगाई गई परन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः विपक्षीगण (1, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22 एवं 24 से 28) के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए जाते। तहसीलदार बिजौलिया से	

PTO.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 259/2022 दायर तारीख 23.06.2022

अनवान

01. अरविन्द कुमार पिता लक्ष्मणलाल जाति धाकड़ नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
02. मुकेश कुमार पिता लक्ष्मणलाल जाति धाकड़ नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
03. सीताबाई पत्नि लक्ष्मणलाल जाति धाकड़ नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता काना जाति बलाई उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी तह0 बिजौलियां।
2. मोहन पिता काना जाति बलाई उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी तह0 बिजौलियां।
3. देबीलाल पिता नन्दा जाति बलाई उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी तह0 बिजौलियां।
4. फूली उर्फ भूली पत्नी नन्दा जाति बलाई उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी तह0 बिजौलियां।
5. देवीलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी तह0 बिजौलियां।
6. मोहन पिता कजोड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
7. जगन्नाथ पिता कजोड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
8. भंवरी पिता कजोड़ पत्नि जीतमल जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 सलावटियां तह0 बिजौलियां।
9. गंगा पिता कजोड़ पत्नि नानालाल जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 लक्ष्मीनिवास तह0 बिजौलियां।
10. कस्तूरी पिता कजोड पत्नि खेमा जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 खड़ीपुर तह0 बिजौलियां।
11. घीसालाल पिता देवा जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
12. हीरालाल पिता देवा जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
13. दुर्गालाल पिता लालू जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
14. मोतीलाल पिता लालू जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
15. शम्भुलाल पिता लालू जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
16. सुगनलाल पिता लालू जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां।
17. भंवरीबाई पिता लालू पत्नि शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 खमाणगंज तह0 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ।
18. सुशीला पिता लालू पत्नि नाथू जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 प्रतापपुरा तह0 रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ।
19. नन्दू पुत्री होकमा जाति धाकड़ पत्नी सुखलाल धाकड़ उम्र बालिग नि0 हाल सुखपुरा।
20. रामलाल पिता होकमा जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी।
21. जीतमल पिता चुन्ना जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा।
22. झमकू पिता चुन्ना पत्नी शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 इन्द्रपुरा।
23. मोहन पिता चुन्ना जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 गिरधरपुरा।
24. हंगामी पिता चुन्ना जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 हाल गणेशपुरा।
25. नन्दू पत्नि कंस्तूरचन्द जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 हाल सलावटियां।
26. दिनेश पिता भूरा जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 चान्दजी की खेड़ी।
27. निर्मला पिता कैलाश पत्नि मुकेश जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 इन्द्रपुरा।
28. पन्ना पिता भूरा पत्नि काना जाति धाकड़ उम्र बालिग नि0 इन्द्रपुरा।
29. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

.... विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 21/12/2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी अरविन्द पुत्र लक्ष्मण जाति धाकड़ नि0 गिरधरपुरा तह0 बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सलावटियां पटवार हल्का सलावटियां स्थित आराजी संख्या 1118/271 रकबा 0.1133 हैक्टेयर खातेदार प्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 व आराजी संख्या 271 रकबा 0.5099 हैक्टेयर खातेदार सभी प्रार्थीगण गिरधरपुरा गांव से भूमि मे आने जाने के लिये मौजा ग्राम सलावटियां से विपक्षीगण की मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी स्थित आराजी नं0 93 रकबा 0.6475 हैक्टेयर विपक्षी नं0 1 व 2, आराजी नं0 113 रकबा 0.6556 हैक्टेयर विपक्षी नं0 3 व 4, आराजी नं0 112/2 रकबा 0.2509 हैक्टेयर विपक्षी नं0 5, आराजी नं0 111/1 रकबा 0.2428 हैक्टेयर विपक्षी नं0 6 से 10 तक, आराजी नं0 110 रकबा 0.4856 हैक्टेयर विपक्षी नं0 11 व 12, आराजी नं0 106 रकबा 0.4694 हैक्टेयर विपक्षी नं0 13 से 18, आराजी नं0 107/2 रकबा 0.0081 हैक्टेयर विपक्षी नं0 19 व 20, आराजी नं0 107/1 रकबा 0.1781 हैक्टेयर विपक्षी नं0 21 से 24, आराजी नं0 108 रकबा 0.1700 हैक्टेयर विपक्षी नं0 25, आराजी नं0 1105/117 रकबा 0.4775 हैक्टेयर विपक्षी नं0 26 से 28 उपरोक्त सभी भूमि की किस्म माल प्रथम हैं। जो विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त विपक्षीगण की भूमि से होता हुआ रास्ता संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण अपनी मौजा ग्राम सलावटियां पटवार हल्का सलावटियां स्थित आराजी संख्या 1118/271 रकबा 0.1133 हैक्टेयर खातेदार प्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 व आराजी संख्या 271 रकबा 0.5099 हैक्टेयर खातेदार सभी प्रार्थीगण अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का कई वर्षो से निरन्तर उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर काश्त की जा रही हैं। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात मौजूद हैं। रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु ट्रेक्टर बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता हैं। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नही हैं। यह कि प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 15 फीट चौडे रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकार मूल्य के आधार मुआवजा भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को नियमानुसार कायम करवाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी करवायी गयी।

विपक्षीगण संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 20, 23 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया एवं विपक्षीगण संख्या 1, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 24 से 28 तक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश धाकड़ ने U.T. ली। विपक्षीगण संख्या 4 17, 18, 19 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सलावटियां का नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम सलावटियां, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम सलावटियां, ग्राम सलावटियां का नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मौजा ग्राम चान्दजी की खेड़ी, ग्राम चान्दजी की खेड़ी का नक्शा ट्रेस, ग्राम सलावटियां का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की हैं।

लगातार पेज संख्या 03 पर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौ...

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

इस प्रकरण में तहसीदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत
र्ट क्रमांक/राजस्व/2023/1238 दिनांक 17/08/2023 में अंकित किया कि भू0अ0नि0 सलावटिया
पटवारी हल्का सलावटिया व चान्द जी की खेडी द्वारा संयुक्त मौका पर्चा अनुसार ग्राम मौका एवं
ार्ड का निरीक्षण करने पर जानकारी में आया कि वादी अरविन्द पुत्र लक्ष्मण धाकड निवासी गिरधरपुरा
म सलावटिया में स्थित खातेदारी आराजी संख्या 1118/271 एवं 271 तक आने जाने के लिए राजस्व
ार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है उक्त आराजी में आने जाने के लिऐं वादी द्वारा ग्राम चान्द जी की
डी के आराजी संख्या 93, 113, 112/2, 111/1, 110, 106, 107/1, 107/2, 108, 1105/117 मे से
स्ता दर्ज करवाने के लिऐं आवेदन किया है। मौके पर उपस्थित मौतविरान द्वारा बताया कि वादी ग्राम
लावटिया स्थित आराजी संख्या 1118/271 एवं 271 में आने जाने के लिए पिछले कई वर्षो से ग्राम चान्द
ी की खेडी के आ0नं0 93, 113, 112/2, 111/1, 110, 106 की दक्षिणी मेर एवं 107/1, 107/2, 108,
1105/117 की पश्चिमी मेर से होकर आते जाते थें। मौतविरान द्वारा बताया गया कि खातेदार द्वारा पडोसी
खातेदार को खेती सिजारे देने से खेत पर आने जाने की समस्या नही थी, परन्तु पिछले 5–6 वर्षो से
खातेदार स्वयं खेती करना चाहता हैं जिस कारण पडौसी खातेदारो द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर देने से
खातेदार द्वारा खेत को पडत रखा हुआ है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजीयात् तक पहुचने के लिऐं मौके पर
कोई रेकार्डेड एवं कदीमी रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त आराजीयात् में पहुचने के लिऐं पूर्व में इसी रास्ते
का उपयोग किया जाता था जिसे वर्तमान में बन्द कर देने से खातेदार द्वारा खेती नही की जा रही है।
उक्त प्रस्तावित रास्ता ही खातेदार के लिऐं सुविधाजनक हैं खातेदार द्वारा ग्राम सलावटिया स्थित अपने
आराजी में जाने के लिऐं 15 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है जिसके लिऐं आराजीवार निम्न भूमि रास्ते हेतु
उपयोग में आयेगी।

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते के उपयोग होने वाला रकबा (है0 में)
1.	चान्द जी की खेडी	93	0.6475	0.0376
	चान्द जी की खेडी	106	0.4694	0.0144
3.	चान्द जी की खेडी	107/1	0.1781	0.0224
4.	चान्द जी की खेडी	107/2	0.0081	0.0016
5.	चान्द जी की खेडी	108	0.1700	0.0160
6.	चान्द जी की खेडी	110	0.4856	0.0144
7.	चान्द जी की खेडी	111/1	0.2428	0.0176
8.	चान्द जी की खेडी	112/2	0.2509	0.0112
9.	चान्द जी की खेडी	113	0.6556	0.0344
10.	चान्द जी की खेडी	1105/117	0.4775	0.0096
		कुल किता 10		0.1792

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

मौके पर उपस्थित प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता पूर्व में भी आने जाने हेतु उपयोग में आता था। इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने पर कोई आपति नही है। उक्त प्रार्थी ने बताया कि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता कभी भी उपयोग में नही लिया गया। उक्त सभी आराजी खातेदारी भूमि है।

इसके अतिरिक्त ग्राम सलावटिया की आराजी न0 271, 1118/271 में जाने के लिऐं एक और रास्ता है जो ग्राम चान्द जी की खेडी की आ0नं0 92/1, 114, 109, 108, 1105/117 से होकर पहुचा जा सकता है। वादी द्वारा बताया गया कि उसने उक्त रास्ते का उपयोग कभी भी नही किया । प्रस्तावित रास्ते में आने वाले आराजी का रकबा निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते के उपयोग होने वाला रकबा (है0 में)
1.	चान्द जी की खेडी	92/1	0.5018	0.0336
2.	चान्द जी की खेडी	114	1.7321	0.0624
3.	चान्द जी की खेडी	109	0.7527	0.0312
4.	चान्द जी की खेडी	108	0.1700	0.0152
5.	चान्द जी की खेडी	1105/117	0.4775	0.0096
		कुल किता 5		0.1520

लगातार पेज संख्या 04 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सभी अप्रार्थीगणो को मोबाइल फोन पर सूचना दी गई परन्तु मौके पर उपस्थित नही हुऐं । प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी खनिज स्वीकृत/संभावित से 250 मीटर से अधिक दूरी पर हैं तथा NH-27 से 900 मीटर तथा SH से 1 कि0मी0 से अधिक दूरी पर स्थित है।

ग्राम चान्दजी की खेडी की प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 किता 10 कुल रकबा 0.1792 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 373038/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 66849/— रूपये का दुगुना से 133698/— रूपये की राशि बनती है। व ग्राम चान्दजी की खेडी के अन्य रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 किता 5 कुल रकबा 0.1520 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 373038/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 56702/— रूपये का दुगुना से 113404/— रूपये की राशि बनती है।

अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस की प्रतियां सलंग्न कर श्रीमान् की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

चूंकि प्राथीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चान्दजी की खेडी की भूमि आराजी नं0 किता 10 कुल रकबा 0.1792 है0 भूमि का उपयोग पूर्व में रास्ते हेतु किया जा रहा हैं तथा तहसीलदार बिजौलियां द्वारा भी उक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मं दर्ज करने पर कोई आपति होना अंकित नहीं किया हैं एवं इसके अतिरिक्त रास्ते का प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कभी भी उपयोग में नहीं करना बताया हैं। उपरोक्तानुसार रास्ता ही प्रस्तावित हैं।

अतः प्रार्थीगण की ग्राम सलावटिया स्थित आराजी संख्या 1118/271 एवं 271 में आने जाने के लिए ग्राम चान्द जी की खेडी स्थित आ0नं0 93, 113, 112/2, 111/1, 110, 106 की दक्षिणी मेर एवं 107/1, 107/2, 108, 1105/117 कुल किता 10 रकबा 0.1792 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 373038/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 66849/— रूपये का दुगुना से 133698/— रूपये की राशि बनती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थीगण को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम सलावटिया स्थित आराजी संख्या 1118/271 एवं 271 में आने जाने हेतु रास्ते के लिए ग्राम चान्द जी की खेडी स्थित आ0नं0 93, 113, 112/2, 111/1, 110, 106 की दक्षिणी मेर एवं 107/1, 107/2, 108, 1105/117 कुल किता 10 रकबा 0.1792 हैक्टेयर भूमि में रास्ता प्रदत्त किया जाता हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 373038/— रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 66849/— रूपये का दुगुना से 133698/— रूपये की राशि बनती है। जो विपक्षीगण को भुगतान किया जावें अथवा विपक्षीगणों द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति के रूप में जमा करावें। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में गे0मू0 रास्ता दर्ज करते हुये रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडिया आदि) में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2023 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा